2021/39

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना
जाति मीना
निवासी 7 / 8 गीता विहार
हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर
जिला जयपुर

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 18 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.03.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 07.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पत्र क्रमांक / PMSD/SIROHI/ISD/14 दिनांक 18.08.2014 के द्वारा मास्टर प्लान में राजकीय भूमि के तौर पर शामिल करने के विरूद्ध अपनी आपत्तियां दर्ज की गई थी, के सम्बन्ध में सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 07.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पत्र क्रमांक / PMSD/SIROHI/ISD/14 दिनांक 18.08.2014 के द्वारा मास्टर प्लान में राजकीय भूमि के तौर पर शामिल करने के विरूद्ध अपनी आपत्तियां दर्ज की गई थी, के सम्बन्ध में चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त सूचना उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत मूल आवेदन उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को जरिये पत्र क्रमांक 118–119 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner